# मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर–दिसम्बर, 1999 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**गुरूवार, दिनांक 18 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 27, 1921)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार–

(क) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक लेखा वर्ष 1997–98,

(ख) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998–1999 (दिनांक 1 जुलाई, 1998 से 30 जून, 1999), तथा

(ग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) का चौंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.7.97 से दिनांक 30.6.98) वर्ष 1997–98,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :–

(क) क्रमांक एफ–1–10–98–बाईस–पं.–2, दिनांक 7 जुलाई, 1999,
(ख) क्रमांक एफ–1–10–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 7 जुलाई, 1999,
(ग) क्रमांक एफ–1–4–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 7 जुलाई, 1999,
(घ) क्रमांक एफ–1–13–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 19 जुलाई, 1999,
(ड.) क्रमांक एफ–1–6–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 19 जुलाई, 1999,
(च) क्रमांक एफ–1–14–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 19 जुलाई, 1999,
(छ) क्रमांक एफ–1–5–99–बाईस–पं.–2, दिनांक 19 जुलाई, 1999, तथा
(ज) क्रमांक बी–1–50 (4) (दो)–95–बाईस–पं.–2, दिनांक 27 जुलाई, 1999,

पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, चंबल नहर फूटने से अनेक क्षेत्रों के कृषकों की फसलों की क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मन्नूराम पवार, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल में रद्दी उत्तर पुस्तिकाओं की बिक्री में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की जैसीनगर पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), कंकर मुंजारे, सदस्य, दतिया महिला जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही से अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है."

**5. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव**

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

**6. शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 1999 (क्रमांक 35 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 36 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री, मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक, 1999 (क्रमांक 38 सन् 1999) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

**7. वर्ष 1999-2000 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान**

निर्धारित समय

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 तथा 85 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः सौ दो करोड़, नौ लाख, बयालीस हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

1 घन्टा

**8. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 1999 (क्रमांक 37 सन् 1999) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**9. संकल्प**

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान
3 घन्टे में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

**10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सोनेराम कुशवाह, हरीशंकर जायसवाल तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

**के.पी. तिवारी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल :**
**दिनांक : 17 नवम्बर, 1999**

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.